Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
UGC Approved Journal No. 63726
Impact Factor:3.021 website: www.researchguru.net
Volume-11,Issue-3,December-2017

भारत में बाल श्रम की समस्या का अध्ययन

Hasmukh Panchal,
Assist. Professor,
Department of Sociology and Social Anthropology,
Gujarat Vidyapith, RANDHEJA - 382620.
Mo - 9429732401. hasmukhp13@gmail.com

1.प्रस्तावना -

बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और बच्चे ही कल के नागरिक होते हैं लेकिन हमारे देश में बच्चे कई प्रकार के शोषण के शिकार होते हें। भारत में बाल श्रम एक बेहद खतरनाक और जटिल समस्या के रूप में सामने आया है। विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों में करोडों बच्चे, अपना खून-पसीना बहा रहे हैं। ये बाल-मजदूर पत्थर तोड कर किसी ओर के आशियाने को बनवाने मे मदद करते हैं, ये मिट्टी के दीये और मोमबत्तिया बनाकर औरो की दीपावली में चार चांद लगाते हैं, ये बाल मजदूर होटलों व ढाबों में बर्तन मांजते हैं मजदूरी करते हैं और पटाखे बनाकर औरों की दीवाली में धूम-धडाका करते हैं। लेकिन इसी क्रम में तथ्य यह भी है कि इन बाल मजदूरों का जीवन अंधकार मय हैं, उन्हे बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करना पडता हैं। हमारे देश मे बाल श्रम एक अत्यंत गंभीर समस्या है लेकिन यह समस्या मात्र हमारे देश तक ही सीमित नही है अपितु इनका फैलाब समूची दुनिया मे है। वैसे यदि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो हमारे यहां बाल मजदूरों का प्रतिशत बाकी मुल्कों कें मुकाबले काफी कम है लेकिन संख्या की द्रष्टि से सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत देश में ही बसते हैं। तूर्की में लगभग 20 प्रतिशत, थाईलेन्ड में 21 प्रतिशत, बांग्लादेश में 20 प्रतिशत, ब्राजील में 19 प्रतिशत और पाकिस्तान में 17 प्रतिशत बाल मजदूर, वहॉ की आबादी के हैं। भारत में कुल बाल मजदूर यहॉ की कुल आबादी के लगभग 5 फीसदी ही हैं। प्रतिशत में तो भारत में बाल मजदूर कम हैं लेकिन संख्या की द्रष्टि से सर्वाधिक बाल मजदूर भारत मे ही हैं। बाल मजदूरी वास्तव मे बचपन के खिलाफ किया गया एक सामाजिक अपराध है क्योंकि इसके कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। हालाकि हमारे देश मे बाल श्रम के सभी रूपों को पूरी तरह से प्रतिबन्धित कर दिया गया है लेकिन फिर भी करोडों बच्चों से देशभर मे बाल श्रम कराया जा रहा हैं। बाल श्रम बच्चों के खिलाफ किया गया एक प्रमुख अपराध है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन मे बाल श्रम एक समस्या के रूप मे देखने का प्रयास हैं।

साहित्य समिक्षा -

त्रिपाठी मधुसूदन - बाल अधिकार तथा बाल शोषण पुस्तक मे लिखते है कि विश्व में गरीबी, रूढियों, युद्ध, राजकीय अक्षमता, संवेदनाहीन मुद्रा, केन्द्रिय प्रवृत्ति आदि के चलते करोडों बच्चे समस्त प्रकार के शोषण व उत्पीडन का शिकार हो रहे हैं। जीने के अधिकार, विकास के अधिकार, सुरक्षा के अधिकार और सहभागीता के अधिकार से वंचित ये बच्चे बाल्यावस्था में ही जटिल एवं दुरह जिंदगी जीने के लिए विवश होते हैं। इनमे से कुछ परिवार की भूख मिटाने के लिए बाल श्रमिक के रूप बदनाम हो जाते हैं।

निशांत सिह- बाल शोषण एवं बाल श्रम पुस्तक मे लिखते है कि वस्तुतः बालक हमारे भविष्य हैं और कल की नींव इन बच्चों के कंधों पर ही टिकी होगी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बच्चों को बाल श्रम ने बुरी तरह से चपेट में ले लिया है। वास्तव मे बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है जो हमारे भविष्य को दीम की तरह चट कर रही है।

आर्य दीप्ति - भारतीय बालकः सामाजिक-आर्थिक द्रष्टिकोण पुस्तक मे भारतीय बालकों के समग्र विकास की विवेचना की गयी है। भारतीय बालको के सोशल ऑडिट के रूप में लिखा हैं।

उदेश्य - 1. बाल श्रम के प्रमुख कारणो को देखना 2. बाल श्रम की स्थिति का अध्ययन

2. शोध प्रविधि -

ऐतिहासीक प्रविधि के द्वारा शोध कार्य किया हैं। भारत की जनगणना के आंकडो का एवं द्वितीयक माहिती का उपयोग किया हैं। अध्ययन के प्रथम विभाग मे विषयवस्तु, दुसरे विभाग में शोध प्रविधि, तीसरे विभाग मे वर्गीकरण एवं विश्लेषण और चौथे विभाग मे निष्कर्ष निरूपण किया गया हैं।

3. बालक, बाल श्रम और संविधान -

भारत सरकार 12 नवंबर,1992 को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा बाल अधिकारो (20 नवंबर 1989) के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर चूकी है। भारत की जनगणना में 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक माना जाता है। भारतीय संविधान में भी उस व्यक्ति को बच्चा माना गया है जिसकी आयु 14 वर्ष से कम होती है।

बाल श्रम का अर्थ है बच्चों से कोई व्यवसायिक कार्य कराना, फिर चाहे उसमें उनकी सहमति हो या न हो। बाल श्रम वास्तव में बचपन के खिलाफ किया गया एक सामाजिक अपराध है, क्योंकि इसके कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता हैं। हालांकि हमारे देश में बाल श्रम के सभी रूपों को पूरी तरह से प्रतिबन्धित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी करोडों बच्चों से देशभर में कराया जा रहा हैं।

संविधान में बाल श्रम पर प्रतिबन्ध है। मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान किया गया है - 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या अन्य किसी खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जायेगा, यह प्रवधान राज्य पर बाध्यकारी है। अनुच्छेद 39(ई), 39(एफ), 41, बालश्रम के लिए महत्वपूर्ण है।

बालश्रम के सिद्धांत -

बाल श्रम समग्र दुनिया में होता हैं और विश्वभर मे इस बात पर शोध होते रहे हैं कि बाल श्रम होता क्युं है ? इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित है, जैसे नव पुरातनवादी सिद्धांत, समाजिकरण का सिद्धांत, श्रम बाजार के विखण्डन का सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और अशिक्षा जनित बाल श्रम का सिद्धांत। नव पुरातनवादी सिद्धांत का प्रतिपादन शूट्ज विलिस बेकर और ल्युस ने किया था। इन सिद्धांत का मानना है कि किसी परिवार के द्वारा बाल श्रम की आपूर्ति, उसकी वर्तमान आय को बढाने के लिए की जाती है। बाल श्रम के समाजिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन जी.स्टैंडिंग एवं जी.रोजर्स ने कीया था। इसके मुताबिक, बाल नियोजन न केवल आर्थिक प्रक्रियाओं को दर्शाता है बल्कि बच्चों के प्रति आदर्शात्मक रूखों, सांस्कृतिक रूप से निर्धारित नियम एवं कार्य, बच्चों की गतिविधियों को परखने वाले मूल्यों और समाजिकरण की प्रक्रियाओं के स्वरूप पर भी निर्भर करता है। श्रम बाजार के विखण्डन के सिद्धांत का प्रतिपादन सी.केर, डी.एम.गोर्डन तथा आर.सी.एडवर्ड ने किया था। काल मार्क्स ने ऐतिहासिक एवं द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी द्रष्टिकोण से श्रम और पूंजी की विस्तृत विवेचना की है। अशिक्षा जनित बाल श्रम के अपने सिद्धांत में वीनर ने माना है कि अशिक्षा के कारण गरीबी पैदा होती है और इसके फलस्वरूप परिवार में बाल श्रम होता है। यहा बच्चा घर मे काम करेगा तब उसका समाजिकरण होता है किन्तु जब आर्थिक आय के लिए करेगा तो बाल श्रम कहा जायेगा।

बाल श्रम एक समस्या -

वर्तमान समय में बाल श्रम ऐसी जटिल समस्या है जिसका सामना सम्पूर्ण विश्व कर रहा हैं। यदि बच्चो का सही ढंग से लालन-पलन और शिक्षित नहिं किया गया तो उनके सपनों को भारत वास्तविक रूप से नहिं ले पायेगा। बाल श्रम एक आर्थिक-सामाजिक समस्या है।

भारत में बाल श्रमिको की स्थिति -

बालक 14 साल से पहेले श्रम में लग जाता है, उसे बाल श्रमिक कहते हैं। जनगणना 1981 में कुल आबादी 685 मिलियन में 13.6 मिलियन बाल श्रमिक है जो कुल आबादी के 2 प्रतिशत हैं। 1991 में कुल आबादी

838.6 मिलियन में 11.28 मिलियन बाल श्रमिक है जो कुल आबादी के 1.34 प्रतिशत हैं। 2001 में 12666377 बाल श्रमिक था। कुल कामकाजि आबादी में 402234724 कामदार है। इसमें 3.15 प्रतिशत बाल श्रमिक है। कुल आबादी 1.028 बिलियन मे 12.666 मिलियन बाल श्रमिक है, जो कुल आबादी के 1.23 प्रतिशत है। 2011 में बाल श्रमिको की संख्या 11720724 है। भारत मे जनगणना 1971-2011 के मुताबित बाल श्रमिको की स्थिति निम्नलिखित हैं।(तालिका -1) **Table 1: Child Labour in Census, 1971-2011**

Sr.no	India/State /UTs	1971	1981	1991	2001	2011
1	**India**	**10753985**	**13640870**	**11285349**	**12666377**	**11720724**
2	Andhra Pradesh	1627492	1951312	1951312	1363339	753004
3	Arunachal Pradesh	17925	17950	12395	18482	20082
4	Assam	239349	-	327598	351419	347353
5	Bihar	1059359	1101764	942245	1117500	1288321
6	Chhattisgarh	-	-	-	364572	297535
7	Delhi	17120	25717	27351	418999	38939
8	Goa	-	-	4656	4138	11323
9	Gujarat	518061	616913	523585	485530	506496
10	Haryana	137826	194189	109691	253491	138983
11	Himachal Pradesh	71384	99624	56438	107774	136053
12	Jammu & Kashmir	70489	258437	-	175630	143460
13	Jharkhand	-	-	-	407200	472831
14	Karnataka	808719	1131530	976247	822615	453215
15	Kerala	111801	92854	34800	26156	57602
16	Madhya Pradesh	1112319	1698597	1352563	1085259	806546
17	Maharashtra	988357	1557756	1068427	764075	774815
18	Manipur	16380	20217	16493	28836	41770
19	Meghalaya	30440	44916	34633	53940	51205
20	Mizoram	-	6314	16411	26265	8366
21	Nagaland	13726	16235	16467	45874	70268
22	Orissa	492477	702293	452394	377594	425546
23	Punjab	232774	216939	142868	177268	205847
24	Rajasthan	587389	819605	774199	1262570	960549
25	Sikkim	15661	8561	5598	16457	11020
26	Tamil Nadu	713305	975055	578889	418801	321002
27	Tripura	17490	24204	16478	21756	17808
28	Uttar Pradesh	1326726	1434675	1410086	1927997	2540375
29	Uttarakhand	-	-	-	70183	91436
30	West Bengal	11443	605263	711691	857087	716576

	Union Territories					
31	Andaman & Nicobar	572	1309	1265	1960	1932
32	Chandigarh	1086	1986	1870	3779	4772
33	Dadra&NagarHaveli	3102	3615	4416	4274	2260
34	Daman & Diu	7391	9378	941	729	919
35	Lakshadweep	97	56	34	27	124
36	Puducherry	3725	3606	2680	190	2392

Source – Statistics of women in India 2010, NIPCCD, New Delhi – 110016, page no.129-130.& www.Censusindia.gov.in/2011census/population_enumeration.html (Date-04/09/2017)

बाल श्रम की समस्या अत्यन्त जटिल एवं विकराल हैं। विभिन्न क्षेत्रो में भिन्न भिन्न व्यवसायों में, भिन्न शर्तो पर बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं। ये बाल श्रमिक भयंकर शीतलहरी, तपती दोपहरी तथा घनघोर वर्षा के थपेडों के शिकार तो होते ही हैं, राजकीय शिथिलता तथा सामाजिक जागरूकति के अभाव के कारण नियोंक्ताओ के अमानवीय अत्याचारों से भी पीडित होते हैं।

बाल श्रमिकों के नाम पर पारिथभाषित ये बच्चे अपनी आकांक्षाओं का गला घोंटकर, भविष्य दांव पर लगाकर पेट भरने के लिए मजदूरी करने को मजबूर हैं। विरोधाभास यह है कि जैसे जैसे राष्ट्र विकास की डगर पर बढ़ रहे हैं, उसी गति से बाल श्रमिकों की संख्या भी बढ़ रही है। आज विश्व में बाल श्रमिको की अधिकतम संख्या अफ्रीका में है। इसके बाद एशिया और लातिनी अमेरिका की बारी आती है। मगर श्रम शक्ति में बच्चों की अधिकतम संख्या भारत में है।

यह ध्यान देने योग्य है कि नियोक्ता के सामने यदी बच्चे और बडे दोनों हों तो वे बच्चों को नौकरी देना अधिक पसंद करते हैं, जिससे बाल मजदूरी को बढावा मिलता है। कालीन उद्योगों के मालिकों के अनुसार, बच्चे छोटी-छोटी उंगलियों से बडों की अपेक्षा केलीन में अधिक गांठे लगा सकता हैं। उनकी उंगलियों में लचीलापन होता है, जिसके कारण वे इन्हें तेजी से चला लेते हैं। चाय के बागान के अधिकारियों के अनुसार, बच्चों के लिए चाय की पत्तियां तोडना आसान है, क्योंकि उनकी उंगलियां मुलायम होती हैं और चाय की झाडियों तक आराम से पहुंच जाती हैं। चाय बागान की युनियनों की भी सोच है कि यदि अधिकारी या मालिक बच्चों को काम पर नहीं रखेंगे तो बाहर से मजदूर लाये जाएंगे और स्थानीय लोगों को मजदूरी मिलने में दिक्कत होगी। बच्चे आज्ञाकारी होते है। उनसे किसी भी तरह का काम लिया जा सकता है। बडे मजदूर से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। बडे मजदूर, कार्य के घंटो और छूट्टी के अधिकारो के प्रति भी सजग रहते है, जबकि इनकी अपेक्षा नियोक्ता जब तक चाहे, बच्चे काम करते रहते है। कई काम वे बडों से बेहतर ढंग से करते है। बच्चे लाभ-हानि और वेतन के स्तर के बारे मे अबोध होते है। अपने वर्तमान या भविष्य के बारे में निर्णय लेने की समझ भी उन्हें नहीं होती। घरेलू कार्यों में लगे हुए बाल मजदूरों का

भविष्य सबसे अधिक शोचनीय है। वे अपने माता-पिता से महीनों बाद मिल पाते हैं। भावनात्मक तनाव में गुलामों की जिंदगी बिता रहे ये बच्चे कई मानसिक और शारीरिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। धनी परिवारों को निर्धन परिवारों के बच्चे मिल भी जाते हैं, जो धनी परिवारों के मन के अनुसार काम करतें हैं। क्या ये बच्चे बडे होकर वोट देने का अधिकार पाएंगे ? अपना घर बसाएंगे ? अपनी मरजी के अनुसार अपने समाज में रहेंगे ? इन मुद्दों पर सदा प्रश्नचिन्ह लगा रहता है। विडंबना यह है कि जीवन की सारी सुविधाओं को देखते हुए ये स्वयं सुविधाओं से वंचित रहते है। कुछ नियोक्ता, घरेलु बाल नोकरों से जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। घरेलू नौकर यदि बच्चियां हों तो दैहिक शोषण के साथ-साथ उन्हें नियोक्ता तथा उनके सगे-संबंधियों की घूरती आंखों का भी सामना करना पडता है। कुछ घरों में तो उनके साथ प्रेम का नाटक करके अधिक-से-अधिक कार्य करवाकर भरपूर शोषण किया जाता है।

स्पष्ट है कि बाल श्रमिकों को इस जीवन की बडी कीमत चुकानी पडती है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, क्योंकि गुलामी का जीवन जीते हुए बच्चों का आत्मसम्मान लुप्त हो जाता है। शिक्षा से वे पूर्णतः वंचित हो जाते हैं। अशिक्षा के कारण उनका कोई भविष्य नहीं होता।

बाल श्रम के कारण -

बाल श्रम के कारणों पर कई सिद्धांत प्रतिपादित किए जा चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और शोधकर्ताओं ने भी बाल श्रम के कई कारणों का उल्लेख किया है। बाल श्रम के कारणों के भी दो पक्ष होते है - आपूर्ति पक्ष या नियोजित या बाल श्रम करने वाले और मांग पक्ष या नियोजक या बाल श्रम लेने वाले।

आपूर्ति पक्ष के कारण - 1. अशिक्षा एवं अज्ञानता 2. निर्धनता
3. विशाल परिवार 4. परिवार में आय का साधन न हो
5. परिवार का नकारात्मक रवैया 6. प्रशिक्षण
7. जीवनशैली 8. दबंगों द्वारा उत्पीडन
9. शैक्षणिक विफलता 10. बालक के विचार और प्रवृत्ति

मांग पक्ष के कारण - 1. श्रमि विभाग की अक्षमता 2. बालको का शोषण करना आसान होता है
3. उत्पादको द्वारा ऋण, अग्रिम आदि सरलता से देना 4. ठेकेदारों द्वारा झूठे प्रलोभन देना
5. वयस्कों की अपेक्षा बालकों का अधिक फुर्तीला होना 6. बालको का असंगठित होना
7. बालकों से ज्यादा काम लेना आसान होता है 8. बाल श्रमिकों को हटाना आसान होतै है

बाल श्रम के दुष्प्रभाव -

औद्योगिक एवं नगरीकरण की प्रक्रिया बढने के साथ-साथ औद्योगिक व व्यावसायिक प्रक्रियाओं में बाल श्रम का **प्रयोग** निरन्तर बढता जा रहा है। बाल श्रम का सबसे बडा दुष्प्रभाव यही है कि बाल श्रमिक आसानी से विभिन्न प्रकार के शोषण का शिकार हो सकते हैं इसलिए बाल श्रमकों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक व यौन-शोषण के मामले लगातार बढते जा रहे हैं। बाल श्रम के कारण समाज में अनैतिकता को भी बढावा मिलता है क्योंकि मजदूरी के चलते हजारों बालिकाएं अपना तन बेचने को भी मजबूर हो जाती हैं।

4. निष्कर्ष -

बाल श्रम की समस्या को जड से समाप्त करना अनिवार्य है एवं शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है। एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का यह मानवीय दायित्व है कि परिस्थिकियों से मजबूर होकर जो बालक शोषणग्रस्त हैं उन्हे हम उपेक्षित न समझें बल्के उन्हें सम्मान दें तथा उनके दिलों व अधिकारो का संरक्षण करें। उनके व्यवहारिक अनुभवों को समझ-बुझकर मुख्य धारा में उन्हें सहभागी बनाएं। नितान्त आवश्य हैं कि शोषित बच्चों का सामान्य रूप से, सशक्तिकरण हो अन्यथा ये बालक परिवार, समाज और सरकार की भूमिका के सन्दर्भ में एक प्रश्नचिन्ह होंगे।

सुझाव -

बाल श्रम एक जटिल एवं बहुआयामी समस्या होने के कारण इसका निराकरण भी बहुआयामी ही होगा। किसी जादुई छडी से इस समस्या का तत्काल निराकरण सम्भव नहीं है। अतः यही द्रष्टिकोण अपनाते हुए प्रतिबद्ध नागरिकों को संगठित कर सघन तरीके से जन-जागरण अभियान चलाया जा सकता है और इसके लिए इलेक्ट्रानिक एवं मुद्रण संचार माध्यमों का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। इस कार्य में संवेदनशीलता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा न हो कि एक ओर बाल श्रम के विरोध में यह सन्देश प्रसारित हो " इन नाजुक हाथों के जख्म अभी भी भरे जा सकते है " किन्तु अगले क्षण किसी बहुराष्ट्रीय जूता कम्पनी के प्रचार में " ए भाय... जरा बचके चलो....." गाते हुए जूता पालिश करने वाले बच्चे को मुस्कराते हुए दिखाएं, मानो यह कार्य उसके बचपन के अनुकूल हो। ऐसे अन्तर्विरोधों से बचने की आवश्यक हैं, अन्यथा उपभोग्तावादी संस्कृति, मानवीयता पर हावी हो जाएगी। इसके लिए माता-पिता, परिजनों, शिक्षा-

संस्थाओं को समय रहते पहल करनी होगी, तभी हम विश्व के बचपन को खिलने से पहले ही मुरझाने से बचा सकेंगें।

सन्दर्भ सूची -

1.अभिजीत भौमिक (2015) भारतीय समाज-समस्याए एवं समाधान,ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
2.आहूजा राम, आहूजा मुकेश (2015) विवेचनात्मक अपराधशास्त्र, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
3.आर्य दीप्ति (2012) भारतीय बालक-सामाजिक आर्थिक द्रष्टिकोण, ओमेगा पब्लिकेशन्स,नई दिल्ली
4.त्रिपाठी मधुसूदन (2011) बाल अधिकार तथा बाल शोषण, खुशी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
5.त्रिपाठी विनायक (2013) किशोर अपचारिता, महेन्द्र बुक कम्पनी, हरियाणा
6.निशान्त सिंह (2012) भारत में अपराध एक विश्लेषण, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
7.निशान्त सिंह (2015) बाल शोषण एवं बाल श्रम, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
8.वी.एन.सिंह, जनमेजय सिंह (2015) नगरीय समाजशास्त्र, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
9.જોષી વિદ્યુત (2016) પારિભાષિક કોશ-સમાજશાસ્ત્ર, યુનિ.ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ,ગુજરાત રાજ્ય,અમદાવાદ.
10.દવે હર્ષિદા (2000) સામાજિક સમસ્યાઓ, યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ,ગુજરાત રાજ્ય,અમદાવાદ.
11.Statistics of women in India 2010, NIPCCD, New Delhi – 110016, page no.129-130.&
12.www.Censusindia.gov.in/2011census/population_enumeration.html (Date-04/09/2017)